अनदेखी | जिम्मेदार मौन, पर्व विशेष पर ही रहती है मुस्तैदी

ऐसे में सरयू नदी के घाट जैसा कैसे बन पाएगा गौरीघाट

अराजक तत्व लोक निर्माण मंत्री की योजना पर लगा रहे पलीता

नवभारत,जबलपुर। सरयू नदी के घाट की तर्ज पर 300 करोड़ रुपए की लागत से गौरीघाट के घाटों को विकसित करने की लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की योजना पर अराजक तत्व पलीदा लगाते नजर आ रहे हैं। ताजी तस्वीर के मुताबिक गौरीघाट नर्मदा नदी के पास पड़ीं कई शराब की बोतलें बयां कर रहीं हैं कि रात होते ही घाट के पास शराबखोरी चरम पर होती है। सवाल उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन, क्या होमगार्ड क्या जिला प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार की ड्यूटी रात के वक्त गौरीघाट नर्मदा तट के पास नहीं लगाई जा सकती...

हैरानी होती है हकीकत जानकर कि रात के वक्त गौरीघाट में ऐसे किसी भी जिम्मेदार की ड्यूटी नहीं होती सिर्फ नर्मदा जयंती या किसी पर्व विशेष पर ही दिखावे के लिए जिला, पुलिस प्रशासन का बल नर्मदा तट पर मौजूद रहता है अन्य दिनों नर्मदा तट के पास शराबखोरी चरम पर होती है।

एक किलोमीटर लंबाई में बनेगा एक घाट

विदित हो कि लोक निर्माण मंत्री ने 'जिलहरी घाट से लेकर खारी घाट तक लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में एक घाट सरयू नदी के घाट जैसे बनाने का सपना देखा है जिसका पूरा काम एमपी-आरडीसी करेगी। कयास तो लगाए गए हैं कि आने वाले दो से तीन सालों में काम पूरा कर दिया जाएगा लेकिन ताजी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जानकारी के अनुसार गौरीघाट क्षेत्र में करीब 1 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में नर्मदा नदी के तट पर करीब 6 अलग-अलग घाट हैं जिनमें खारी घाट, उमा घाट, ग्वारीघाट, जिलहरी घाट, सिद्ध घाट और दरोगा घाट शामिल है।

रात के वक्त होती है शराबखोरी

स्थानीय दुकानदारों ने नाम न छापने की शर्त पर नवभारत को बताया कि रात के वक्त गौरीघाट नर्मदा नदी के पास ही असामाजिक तत्वों का जमघट लगना शुरू हो जाता है और वे गांजा से लेकर शराबखोरी जमकर करते हैं। ऐसे में स्थानीय कोई भी व्यक्ति इनसे उलझने में डरता है और विरोध नहीं कर पाता है। दुकानदारों ने पुलिस व जिला प्रशासन से मांग की है कि गौरीघाट नर्मदा तट पर पुलिस व होमगार्ड की स्थाई तैनाती रात के वक्त की जाए।

पुलिस थाना भी दूर हो गया स्थानांतरित

कुछ दुकानदारों ने ये भी नवभारत से कहा कि पहले गौरीघाट पुलिस थाना नर्मदा तट से कुछ ही दूरी पर था तो पुलिस कर्मी पैदल ही रात के वक्त नर्मदा तट के पास आकर पेट्रोलिंग करते थे लेकिन अब गौरीघाट नर्मदा नदी से पुलिस थाना दूर स्थानांतरित हो गया है जिस कारण पुलिस कर्मियों ने तट में आना बेहद कम कर दिया है।

गर्भवती महिला के पेट में मारी लात

नवभारत, जबलपुर। कैंट थाना अंतर्गत जी.के. हुसैन कंपाउंड सदर में पुरानी रंजिश को लेकर एक गर्भवती महिला और उसकी सास के साथ मारपीट कार दी गई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जी.के. हुसैन कंपाउंड निवासी चांदनी खान (29) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बीती रात जब वह अपने घर के सामने गली में थी, तभी पड़ोस में रहने वाली संजना स्वामी, तनिष्क स्वामी और सपना स्वामी पुरानी बातों को लेकर विवाद करने लगे। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर चांदनी और उनकी सास शहीदा बेगम के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान संजना स्वामी ने उनके पेट में लात मार दी। घटना के दौरान इमरान खान और शरीफ कुरैशी ने बीच-बचाव किया। लोगों को इकट्ठा होता देख तीनों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस हमले में पीड़िता की सास को भी सिर में चोटें आई हैं। चांदनी गर्भवती हैं, स्थिति को देखते हुए पुलिस ने तुरंत विक्टोरिया अस्पताल भेजा, जहाँ से उन्हें बेहतर इलाज के लिए एल्गिन अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

14 करदाताओं के खिलाफ निगम ने की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई

दमोहनाका, भानतलैया, रांझी में चलाया गया अभियान

नवभारत,जबलपुर। शहर की बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को निरंतर बनाए रखने के लिए नगर निगम इन दिनों वसूली को लेकर एक्शन मोड में है। अभियान के दौरान मंगलवार को मुख्यालय सहित दमोहनाका, भानतलैया, राँझी और सुहागी संभागों में प्रभावी कार्यवाही की गई। करदाताओं ने निगम की अपील को गंभीरता से लेते हुए मौके पर ही चैक के माध्यम से भुगतान किया। कार्रवाई के संबंध में जानकारी के अनुसार संभाग क्रमांक 6 के अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड अंतर्गत भवन स्वामी शशि चक्रवर्ती पति स्व. रमेश चक्रवर्ती बकाया राशि 1 लाख 10 हजार 6 सौ, महेन्द्र जैन पिता स्व. ज्ञानचंद जैन बकाया राशि 1 लाख 4 हजारा 8 सौ 45, किरण कछवाहा पति स्व. दुर्गा प्रसाद कछवाहा बकाया राशि 53 हजार 5 सौ 76 रूपये होने पर भवन पर कुर्की के पोस्टर चस्पा किये गये साथ ही अन्य बकायादारों से सम्पर्क किया गया।

इनकी संपत्ति हुई कुर्क

वहीं संभाग क्रमांक 8 भानतलैया अंतर्गत राधाकृष्ण वार्ड में विजय खरे के नाम पर 1 लाख 42 हजार रूपये, मुंशी चैधरी पर 37 हजार 3 सौ 30, मुन्नी बाई रजक पर 40 हजार 7 सौ 17, टीकाराम पर 31 हजार 9 सौ 60, गोपाल पर 51 हजार 8 सौ 41 एवं गरीबदास पर 64 हजार 7 सौ 43 रूपये बकाया राशि पर सम्पत्ति कुर्क की गई।

वसूली के दौरान शीतलामाई वार्ड अंतर्गत 2 बकायादारों से 2 चैक राशि रूपये 26 हजार 1 सौ 90 रूपये प्राप्त किये। इसके अलावा संभाग क्रमांक 10 रांझी के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर वार्ड में आशीष कुमार गुप्ता पर बकाया राशि 93 हजार 1 सौ 65 रूपये होने पर तीन दिवस में जमा करने पोस्टर चस्पा किया गया। गोकलपुर वार्ड अंतर्गत करदाता रमेश कुमार गुप्ता पर बकाया राशि 83 हजार 6 सौ 66 रूपये जमा न करने पर भवन पर कुर्की की कार्यवाही की गई।

24 घंटे का दिया गया समय

जानकारी के अनुसार संभाग क्रमांक 13, पंडित भवानी प्रसाद तिवारी वार्ड में करदाता सुरेश पीनियानी पिता कन्हैया लाल के यहां 1 लाख 24 हजार रूपये संपत्ति कर बकाया होने पर अंतिम नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे का समय दिया गया है, एवं अमित सिंह, जसपाल कौर के यहां 2 लाख 79 हजार 7 सौ 97 रूपये संपत्ति कर बकाया होने पर कुर्की का पोस्टर चिपकाया गया, करदाता द्वारा 24 घंटे का समय मांगा गया है कल तक राशि जमा न होने पर तालाबंदी की कार्यवाही की जावेगी। वहीं संभाग क्रमांक 15 सुहागी के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 76 में भजन पशु पालन केन्द्र से सम्पत्ति कर बकाया होने पर 2 लाख रूपये की राशि प्राप्त की गयी।

अधिवक्ताओं से अभद्रता, कॉलर पकड़कर जमीन पर गिराया, फाड़ी ड्रेस

कांचघर चौराहे पर गाड़ी टच होने की बात पर विवाद, मारपीट

नवभारत, जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत कांचघर चौराहे पर गाड़ी टच होने की बात पर उपजे विवाद पर एक युवक द्वारा दो अधिवक्ताओं के मारपीट, जान से मारने की धमकी दी बल्कि जमीन में गिराकर ड्रेस फाड़ दी। इसके बाद जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ललित कॉलोनी निवासी अधिवक्ता यशवंत कुमार मानकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वे अपनी साथी अधिवक्ता सोनाली बावरिया के साथ किशोर न्यायालय से काम निपटाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान कांचघर चौराहे पर वाहन क्रमांक एमपी 20 के एन 7206 के चालक ने गाड़ी टच होने की बात को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोपी ने अधिवक्ताओं की कार के सामने अपनी मोटरसाइकिल अड़ा दी। विरोध करने पर आरोपी ने अधिवक्ता यशवंत मानकर की कॉलर पकड़ी और उन्हें जमीन पर गिरा दिया। इस दौरान आरोपी ने अभद्रता करते हुए अधिवक्ता की ड्रेस भी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान आरोपी के साथ बैठी महिला वहां से भाग निकली।

मोबाइल में कैद हुई घटना

विवाद बढ़ता देख वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान साथी महिला अधिवक्ता सोनाली बावरिया ने अपने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया। जिसे पुलिस को सौंपा है। घमापुर पुलिस ने अधिवक्ता की रिपोर्ट पर वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर आरोपी की पतासाजी कर रही है।

सड़क हादसे में युवक की मौत

जबलपुर। भेड़ाघाट में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तिलवारा थाना क्षेत्र के भैरोनगर बड़ा पत्थर निवासी रोशन अहिरवार 19 वर्ष दोस्त मानसी दाहिया के साथ मोटरसाइकिल से भेड़ाघाट घूमने आया था। भेड़ाघाट रिसोर्ट के समीप उनकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि रोशन के सिर में गंभीर चोटें आईं। घटनास्थल पर मौजूद राहगीरों ने एक निजी एम्बुलेंस की मदद से उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया।

एसडीएम के स्टे ऑर्डर की धज्जियां उड़ा किया जबरन निर्माण

आदेश का उल्लंघन, पुलिस ने दो के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

नवभारत, जबलपुर। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र में एसडीएम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए जबरन निर्माण करने किया गया। आदेश का उल्लंघन करने पर दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदन नगर निवासी पीयूष रजक (36) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अंजना अवस्थी के बृजधाम स्थित प्लॉट की देखरेख करता है। अंजना अवस्थी ने वर्ष 2011 में मौजा गढ़ा के खसरा नंबर 138/4/3 और 138/4/1 की कुल 3640 और 2600 वर्गफीट भूमि विधिवत पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से श्रीमती जानकी बाई से क्रय की थी, जिस पर वे लंबे समय से काबिज हैं।

कोर्ट ने दिया था यथास्थिति का आदेश

जानकारी अनुसार उक्त भूमि को लेकर चल रहे विवाद और शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए एसडीएम गोरखपुर ने प्रारंभिक आदेश जारी किया था। इस आदेश के तहत दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।

आदेश को ठेंगा दिखा 15 पिलर किए खड़े

सूत्रों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बावजूद आकर्ष श्रीवास्तव और विवेक त्रिपाठी ने दबंगई दिखाते हुए पिछले 2-3 दिनों में प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया। आरोपियों ने वहां गिट्टी, रेत और सीमेंट की ईंटें डंप कर दीं और दीवार खड़ी करने के लिए करीब 15 पिलर भी खड़े कर लिए। पुलिस ने आरोपी आकर्ष श्रीवास्तव और विवेक त्रिपाठी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

13 प्रतिष्ठानों पर 4.25 लाख का जुर्माना अधिरोपित

राशि जमा ना करने पर होंगे लाइसेंस निलंबित

नवभारत,जबलपुर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और दूषित खाद्य सामग्री के विक्रय पर रोक लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा की गई आकस्मिक जांच की कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के दोषी 13 प्रतिष्ठानों पर अपर कलेक्टर न्यायालय ने 4 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक गहलोत द्वारा पारित इन निर्णयों में नर्मदा रोड़, एस सक्वायर स्थित हीरा स्वीट्स पर बिना अनुज्ञप्ति और मिथ्याछाप बूंदी लड्डू बेचने के आरोप में 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा साउथ सिविल लाइन स्थित दीपक डेयरी और नर्मदा रोड़, बादशाह हलवाई मंदिर स्थित श्री डेयरी पर अवमानक पनीर विक्रय करने के कारण 50-50 हजार रुपये का दंड अधिरोपित किया गया है।

अभिहित अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर इन संस्थानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे।

इन प्रतिष्ठानों में भी लगा जुर्माना

इसी प्रकार बड़ा पत्थर रांझी स्थित अलका भण्डार पर मिथ्याछाप मलाई बर्फी का विक्रय करने पर 50 हजार रुपये, इंद्राना रोड़ मझौली स्थित सुनील कुमार जैन गोदाम पर बिना पंजीयन के कार्य करने के आरोप में 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गल्ला मण्डी निवाडगंज स्थित श्री गणेश अनाज भण्डार पर 25 हजार रुपये, शास्त्री ब्रिज स्थित सिंघई इंटरप्राइजेस पर 20 हजार रुपये और गढ़ा फाटक स्थित राम अनाज भण्डार पर भी 20 हजार रुपये की, साकेतनगर रांझी स्थित स्नैक्स अटैक पर 15 हजार रुपये, लक्ष्मीनारायण मार्केट रांझी स्थित हॉट एन चीप रेस्टोरेंट पर 15 हजार रुपये तथा अंपायर टॉकीज रोड़ स्थित आदेश आइसक्रीम पर 10 हजार रुपये का दंड निर्धारित किया गया है। साथ ही झामनदास चौक द्वारकानगर स्थित बहरानी फार्मा, कृषि उपज मण्डी स्थित सब्जी विक्रेता अशोक गुप्ता और मुकादमगंज स्थित पारस किराना पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधारताल निवासी लक्ष्य अग्रवाल और भरतीपुर स्थित सुप्रीम प्लास्टिक पर भी 5-5 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

अमृत भारत ट्रेन की नियमित सेवाएं प्रारम्भ

जबलपुर। रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी संख्या 11031/11032 पनवेल जंक्शन-अलीपुरद्वार जंक्शन-पनवेल जंक्शन के मध्य सप्ताहिक अमृत भारत ट्रेन एक्सप्रेस एक नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी इस नई अमृत भारत ट्रेन का नियमित संचालन प्रत्येक सोमवार को 23 फरवरी से पनवेल जंक्शन और प्रत्येक गुरुवार को 26 फरवरी से अलीपुरद्वार जंक्शन स्टेशन से प्रारम्भ हो रही है। यह नई ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के इटारसी, पिपरिया, जबलपुर, कटनी एवं सतना स्टेशनों से होकर गंतब्य को जाएगी गाड़ी संख्या 11031 पनवेल जंक्शन-अलीपुरद्वार जंक्शन साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिनांक 23 फरवरी से प्रत्येक सोमवार अपने प्रारम्भिक स्टेशन पनवेल जंक्शन से सुबह 11:50 बजे रवाना होकर, इटारसी 23:45 बजे पहुँचकर अगले दिन मंगलवार पिपरिया मध्यरात्रि 00:44 बजे, जबलपुर 03:10 बजे, कटनी 04:38 बजे, सतना 05:50 बजे और बुधवार को दोपहर 13:50 बजे अलीपुरद्वार जंक्शन पहुंचेगी।

एलटीटी-दानापुर के मध्य स्पेशल ट्रेन

रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों होली पर यात्रियों की सुविधा हेतु एवं उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में मध्य रेल से प्रारम्भ/टर्मिनेट होने वाली स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 01143/01144 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-दानापुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्पेशल ट्रेन पश्चिम मध्य रेल से होकर अपने गंतब्य को जाएगी। गाड़ी संख्या 01143 एलटीटी से दानापुर स्पेशल ट्रेन यात्रा मांग पर 21 से 28 फरवरी तक एवं होली के अवसर पर 01 से 08 मार्च तक प्रतिदिन लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन से सुबह 10:30 बजे प्रस्थान कर इटारसी रात 21:10 बजे, पहुँचकर अगले दिन जबलपुर 02:25 बजे, कटनी 04:00 बजे, सतना 07:10 बजे पहुँचकर मार्ग से होते हुए सायं 18:45 बजे दानापुर स्टेशन पहुँचेगी।

136 किसानों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू

मझौली उपार्जन केंद्र पर धान बेचने वाले किसानों का हुआ सत्यापन

नवभारत,जबलपुर। मझौली तहसील अंतर्गत वृहताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली द्वारा संचालित उपार्जन केंद्र पर धान बेचने वाले किसानों के सत्यापन के बाद 174 में से 136 किसानों को भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला आपूर्ति नियंत्रक प्रमोद कुमार मिश्र ने बताया कि

उपार्जन केंद्र में अनियमितताओं की जांच के दौरान केंद्र प्रभारी रत्नेश भट्ट और कंप्यूटर ऑपरेटर अमन सेन दोषी पाए गए थे, जिनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस सत्यापन में यह भी पाया गया कि कई किसानों ने अपने कृषि भूमि स्थान से काफी दूर के उपार्जन केंद्र का चयन किया था, जिससे भी जांच की आवश्यकता पड़ी।

38 का लंबित वसूली के बाद होगा भुगतान

जिला उपार्जन नियंत्रक ने बताया कि शेष 38 किसानों का भुगतान जांच में अपात्र पाए जाने के कारण रोका गया है। इनके भुगतान की राशि, उन किसानों से वसूली के बाद की जाएगी जिन्हें पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

कपड़ा व्यापारी पर चाकू से हमला

नवभारत, जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत गोरखपुर बाजार में एक कपड़ा व्यापारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थना कुंज अपार्टमेंट निवासी 32 वर्षीय मंगल जैन की गोरखपुर बाजार में कपड़े की दुकान है। शशि शेखर दुबे शराब के नशे में धुत होकर पहुँचा और जबरन रुपयों की मांग शुरू कर दी। जब मंगल ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया, तो आरोपी ने अचानक चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया।

महिला के खाते से ठग ने उड़ाए 4.32 हजार

नवभारत, जबलपुर। सिविल लाइन निवासी एक महिला के खाते से साइबर ठग ने 4.32 हजार रूपए निकाल लिए। पुलिस ने रिपोर्ट पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक श्रीमति नंदिता बोस 36 वर्ष निवासी अप्सरा अपार्टमेन्ट थाना सिविल लाईन ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह पूर्व में शिक्षिका थी उसका ससूराल सिवनी जिले में है वह कुछ दिनों से मायके में सिविल लाईन में अपने पिता के साथ रह रही है। पिता सपन बोस, बेटी लूनासा सरकार के साथ गोवा जाने के लिये का रेलवे में टिकिट करवाई थी जिसके उसने 9,420 रूपये का पेमेन्ट पेटीएम के माध्यम से रेलवे स्टेशन में किया था। परन्तु वहां पर काउंटर में बैठी मैडम ने बताया कि पेमेन्ट नही आया है लेकिन उसके अकाउंट से पैसे कट गये थे, उसने मैडम से पैसे कटने की बात बताई तो उन्होने कहा कि रिफंड हो जायेगा 24 घंटे के अंदर परंतु उसके खाते से कटे पैसे वापस नही आये। जब पैसे वापस नही आये तो उसने गूगल में सर्च करके चैक किया कि पैसे कैसे वापस आयेंगे तो गूगल में एनपीसीआई शिकायत की वेबसाईट से पैसे वापस आने की जानकारी मिली तो मैने एनपीसीआई कंपलेन में अपनी शिकायत दर्ज की थी तभी उसके मोबाईल नंबर पर एक अज्ञात व्यक्ति का वाट्सएप कॉल आया जिसने अपना परिचय एनपीसीआई का कर्मचारी होना बताया जिसने कहा कि सीएफआर नंबर बताईये तो उसने बता दिया उस व्यक्ति ने उससे पैसे कटने की जानकारी लिया। इसके बाद वीडियो काल एवं वाट्सअप काल भी किया जब उसने पूछा कि आप मुझे वीडियोकाल क्यो कर रहे है तो पैसे रिफंड की प्रोसेस के लिये एक बार काल करना पडता है आपके पैसे वापस आ जायेंगे। इसके बाद खातों की जानकारी मांगी गई। थोड़ी देर बाद उसके दो खातों से क्रमशः 1,38,497 रुपये एवं 98,500 रुपये कट गये। इसके बाद लगातार पैसे कटते गए। कुल 4,32721 रूपये निकाल लिए गए है।

मुआयना | 7 संभागों का निरीक्षण

स्वच्छता को परखने मैदान में उतरे निगमायुक्त

नवभारत,जबलपुर। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को चाक-चौबंद करने और आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जन-सुविधाओं का जायजा लेने के लिए नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार एक्शन मोड में नजर आए। मंगलवार सुबह 6:30 बजे से ही निगमायुक्त ने शहर के विभिन्न सात संभागों 3, 4, 8, 12, 13, 14 और 16 का दौरा किया। दो घंटे के इस सघन निरीक्षण के दौरान उन्होंने गलियों, बस्तियों और कॉलोनियों की सफाई व्यवस्था के साथ जल वितरण, प्रकाश, पेंटिंग और अन्य विकास कार्यों की जानकारी ली।

निगमायुक्त ने संभागों के अंतर्गत आने वाले वार्डों का भ्रमण कर सफाई व्यवस्था, सुचारू जल वितरण, स्ट्रीट लाइट और सौंदर्यीकरण हेतु चल रहे पेंटिंग कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने नाला-नालियों की सफाई और निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति देखते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने सार्वजनिक और सामुदायिक प्रसाधन केंद्रों का भी अवलोकन किया और वहां स्वच्छता के उच्चतम मानक बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए।

त्यौहारों को लेकर विशेष सतर्कता बरतें

आगामी रमजान माह की तैयारियों को लेकर निगमायुक्त विशेष रूप से संवेदनशील दिखे। क्षेत्रीय वार्ड पार्षदों क्रमशः शमरीन कुरैशी, अख्तर अंसारी के साथ उन्होंने वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों जैसे रद्दी चौकी, नूरी नगर, तालिब शाह चौक, सुब्बा शाह और रज़ा चौक, अमन चौक आदि का निरीक्षण किया और सभी संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

पति की हत्या में शामिल पत्नी और उसके प्रेमी सहित दो अन्य को कारावास

जबलपुर। प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे पति की हत्या की साजिश शामिल पत्नी और उसके प्रेमी व दो अन्य को अदालत ने दोषी करार दिया है। एससीएसटी के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत ने आरोपी प्रहलाद पटेल उसके भांजे विकास पटेल व उसके साथी विष्णु पटेल और मृतक की पत्नी संगीता मरावी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।अदालत को विशेष लोक अभियोजक नविता पिल्ले ने बताया कि बरगी हिनौतिया भोई निवासी प्रेम सिंह मरावी 23 नवंबर 2023 को मोटर साइकिल से किसी काम से निकला और फिर वापस नहीं अया। 24 नवंबर को बरगी पुलिस ने मंगेली नहर के पास से प्रेम सिंह मरावी की लाश बरामद की। मृतक प्रेम सिंह के बेटे सौरभ मरावी ने हत्या की आशंका जाहिर की थी।

29 की उम्र में किए 39 अपराध, रासुका में गया जेल

नवभारत, जबलपुर। 29 की उम्र में 39 अपराध करने वाले कुख्यात बदमाश को रासुका में जेल भेज दिया गया है। मदनमहल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि मुकेश उर्फ मुक्कू पटेल पिता महेश पटेल 29 वर्ष निवासी मेहता पेट्रोल पम्प के सामने मछली मार्केट के पास मदनमहल का एक अपराधी प्रवृत्ति का युवक है जो वर्ष 2013 से अपराध घटित किये जा रहा है जिसके खिलाफ मारपीट हत्या का प्रयास, लूट, अवैध वसूली, जुआ, आर्म्स एक्ट विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि के 39 अपराध दर्ज है, जिसके खिलाफ समय समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गयी, लेकिन आरोपित की आदतों में सुधार न लाकर लगातार अपराध किए जा रहा था। जिस पर अंकुश लगाने पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के प्रतिवेदन पर कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने शातिर बदमाश मुकेश उर्फ मुक्कू पटेल के खिलाफ एनएसए के तहत वारंट जारी किया गया। जिसमें उसकी गिरफ्तारी दर्ज कर उसे केन्द्रीय जेल में निरूद्ध कराया गया।

12 फरवरी को हुए गोलीकांड में भी बना था आरोपी

विदित हो कि 12 फरवरी को सिविल लाइन स्थित रोटरी क्लब के पास शादी समारोह के दौरान फायरिंग हुई थी। जिसमें दुर्गेश, श्रीकांत घायल हुए थे। इस मामले में आरोपी मुक्कू पटेल, देवू पटेल, लकी पटेल, अभिषेक गोस्वामी और अन्य दो साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। मुक्कू पटेल को गिरफ्तार कर लिया है जबकि लकी, देवू, अभिषेक अब भी फरार है जिनकी तलाश जारी है।